भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 4950
(जिसका उत्तर गुरुवार, 25 अप्रैल, 2013/5 वैशाख, 1935 (शक) को दिया गया)

एक्सबीआरएल

4950. श्री वैजयंत पांडा :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) के भावी कार्यान्वयन की रूप-रेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इस बारे में विभिन्न पणधारियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं;
(ड.) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में अभी तक प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और
(च) नए एक्सबीआरएल के आरंभ से लेकर अब तक इसके रिपोर्टिंग मानकों का अनुपालन करने वाली कंपनियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ग) : मंत्रालय ने एक्सबीआरएल विशेषज्ञों तथा कारपोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ-साथ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के प्रतिनिधियों को मिलाकर निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ नवम्बर, 2011 में एक समिति गठित की थी:

(i) एक्सबीआरएल में चरणबद्ध तरीके से दायर करने हेतु कंपनियों के वर्ग तथा विभिन्न प्रतिवेदनों की पहचान।

(ii) कारपोरेट द्वारा सरकारी एजेंसियों के समक्ष उनकी विनियामक फाइलिंग में प्रयोगा के लिए टेक्सोनॉमी का विकास।

(iii) टेक्सोनॉमी तथा एक्सबीआरएल आश्वासन फ्रेमवर्क का विस्तार।

(iv) हितधारकों का प्रशिक्षण, जागरूकता तथा क्षमता निर्माण।

(v) एक्सबीआरएल आंकड़ा के उपभोग तथा प्रसार हेतु फ्रेमवर्क।

(घ) एवं (ड.): समिति के गठन तथा इसके विचारार्थ विषयों से संबंधित सूचना आम जनता के सूचनार्थ तथा सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु मंत्रालय की वेबसाईट www.mca.gov.in पर डाली गई थी। इसके प्रत्युत्तर में निम्नलिखित के संबंध में बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए:

i. टेक्सोनॉमी में नई लेखांकन संकल्पनाएं (अवयव),

ii. लागू टेक्सोनॉमी के विकास में अपनाए जा सकने वाला उपागम,

iii. टेक्सोनॉमी में 'विस्तार' और एक्सबीआरएल दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण जैसे तकनीकी मुद्दों के समाधान हेतु अपनाए जा सकने वाला उपागम,

iv. एक्सबीआरएल में नई कंपनियों/फाइलिंग को चरणबद्ध तरीके से शामिल करना,

v. एक्सबीआरएल आंकड़ों के उपभोग एवं प्रसार हेतु फ्रेमवर्क, आदि।

(च): कंपनियों के चयनित वर्ग के लिए एक्सबीआरएल फाइलिंग हेतु नए मानक 6 अक्तूबर, 2011 से प्रभावी हो गए हैं। वित्त वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमश: 29039 तथा 25786 कंपनियों ने अपने तुलन पत्र संशोधित एक्सबीआरएल मानकों का प्रयोग करते हुए दायर किए हैं।

*****